


2018/00304

# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र

उनवान..... परभा १४ ..... बनाम ..... राजेश गुर्व २१/२१

किस्म मुकदमा ..... ११२१-२२३ ..... अकील संख्या ..... १२३/२०१८

अभिभाषक अपीलान्ट ..... श्री. ए. ए. ए. ..... अभिभाषक रेस्पोंडेंट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12.6.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांटगण को रुक - रुक कर तीन बार आवाजे लगवायी गयी फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में रेस्पोंडेंटगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस सम्मन तामील करवा कर आदिनांक तक पेश नहीं किये गये है। अतः अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांटगण के अनुपस्थित रहने एवं रेस्पोंडेंट के सम्मन नोटिस तामील नहीं करवाने के कारण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दपतर हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>mky</i> <b>(ममता कुमारी सिवारी)</b> भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	



निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बांरा, राज0

12- कन्याबाई उम्र 68 वर्ष बेवा बिरधीलाल जाति लुहार निवासी  
रावां तहसील छीपाबडोद जिला बांरा, राज0

13- मांगीबाई उम्र 35 वर्ष पुत्री बिरधीलाल जाति लुहार निवासी  
अटरू तहसील अटरू जिला बांरा, राज0 - अपीलान्त

- बनाम -

✓ 1- राजेन्द्र उर्फ रानू आयु 43 वर्ष पुत्र गणपत जाति लुहार

✓ 2- भंवरलाल आयु 49 वर्ष पुत्र गणपत जाति लुहार

✓ 3- रामप्रकाश आयु 38 वर्ष पुत्र गणपत जाति लुहार

✓ 4- ओमप्रकाश आयु 36 वर्ष पुत्र गणपत जाति लुहार

✓ 5- शांतिबाई आयु 53 वर्ष पुत्री गणपत जाति लुहार

✓ 6- गीताबाई आयु 31 वर्ष पुत्री गणपत जाति लुहार

निवासीगण खेडी हाल रांवा तहसील छीपाबडोद

जिला बांरा , राज0

✓ 7- रामकल्याण उम्र 67 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति लुहार

निवासीगण खेडी तहसील छीपाबडोद जिला बांरा , राज0

✓ 8- धन्नीबाई उम्र 45 वर्ष पुत्री प्रभूलाल जाति लुहार निवासी

चांदखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड, राज0

✓ 9- पानाबाई आयु 100 वर्ष बेवा प्रभूलाल जाति लुहार निवासी खेडी


तहसील छीपाबडोद जिला बांरा , राज0

✓ 10- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब छीपाबडोद

जिला बांरा, राज0

- रेस्पोंडेन्ट

श्री श्री श्री  
F.D. श्री श्री श्री  
छ. 174/18  
बलमंडी



अपील अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट  
विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक  
12.12.2015 प्रकरण सं० 122/2015 बउनवान  
राजेन्द्र वगैराह बनाम बिरधीलाल वगैराह दावा  
अन्तर्गत धारा 53, 183 आर. टी. ए. न्यायालय  
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट महोदय,  
छीपाबडोद जिला बांरा, राज०

महोदय,

अपीलान्ट निम्न आधारों पर यह अपील पेश कर निवेदन करता है -

- 1- यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है ।
- 2- यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों , साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है ।
- 3- यह कि वाद में जो प्रतिवादी क्रम 1 बिरधीलाल बनाया गया है उसकी दिनांक 13.06.2017 को मृत्यु हो गयी है तथा उसके वारिस धनराज पुत्र, नन्दकिशोर पुत्र व मांगीबाई पुत्री तथा कन्याबाई बेवा है , जिनको अपीलान्ट बना दिया गया है ।
- 4- यह कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पों क्रम 1 ता 6 की ओर से ग्राम पीपलखेडी तहसील छीपाबडोद की खसरा नं० 80, 87 कुल 2 किता रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा के बाबत वाद पेश किया जिसमें अपीलान्ट को , रेस्पों क्रम 3 व शेष अपीलान्ट को भी रेस्पों बनाया एवं यह वाद 14.10.2015 को अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज हुआ

